

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 9798/2016

1. अमर चंद पुत्र मूलचंद,
  2. रामपाल पुत्र नंगा (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से:-
    - 2/1. ओमप्रकाश पुत्र रामपाल,
    - 2/2. जीतराम पुत्र रामपाल
    - 2/3. हीरालाल पुत्र रामपाल
    - 2/4. सुखपाल पुत्र रामपाल
    - 2/5. रमेश पुत्र रामपाल
    - 2/6. कमला पत्नी रामपाल
- सभी ग्राम अहमदगंज, तहसील पीपलू, जिला टोंक, राजस्थान के निवासी हैं

----याचिकाकर्तागण

**बनाम**

1. जीतेन्द्र पुत्र वीरूमल, निवासी जिला टोंक, राजस्थान
2. अशोक कुमार पुत्र वीरूमल निवासी जिला टोंक, राजस्थान
3. सुरेंद्र पुत्र वीरूमल
4. रेखा पुत्री वीरूमल, (माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 1.10.2021 को नाम हटा दिया गया) नाबालिग-भाई जितेंद्र पुत्र वीरूमल, निवासी जिला टोंक, राजस्थान के माध्यम से
5. कौशल्या पुत्री वीरूमल, नाबालिग- भाई जीतेन्द्र पुत्र वीरूमल, निवासी जिला टोंक, राजस्थान के माध्यम से

----प्रत्यर्थागण/आवेदक

6. मदन लाल पुत्र मूलचंद निवासी ग्राम अहमदगंज तहसील पीपली
7. हजारी पुत्र रूधा
8. घांसी पुत्र नंदा
9. देवकरन पुत्र नन्दा
10. प्रभु पुत्र गणेश
11. रमेश पुत्र गणेश (मृतक से)
12. घनश्याम पुत्र गणेश
13. श्योजी पुत्र भैरू
14. जगदीश पुत्र भैरू
15. बाबूलाल पुत्र रामदेव (मृतक से)
16. प्रभु पुत्र ग्यारसा (मृतक से)
17. रूघनाथ पुत्र घासी
18. रामचंद पुत्र लादू
19. रामप्रसाद पुत्र गणेश
20. प्रभु पुत्र हरनाथ
21. सत्य नारायण पुत्र जेला (मृतक से)
22. सुखलाल पुत्र रामकरन (मृतक से)

[2023/RJJP/002542]

23. प्रहलाद पुत्र भूरा
24. मूलचंद पुत्र भूरा,
25. जंगली पुत्र हरनाथ
26. रंगलाल पुत्र भीवान
27. गेंदा पुत्र भीवान
28. रामजीलाल पुत्र जगन्नाथ
29. काना पुत्र कल्याण
30. रूगनाथ पुत्र कल्याण (मृतक से)
31. बजरंग पुत्र रामदेव (मृतक से)
32. अर्जुन पुत्र मांगीलाल
33. प्रकाश पुत्र बरधा (मृतक से)
34. नंदा पुत्र हरबखश
35. जगदीश पुत्र हरबखश
36. किशन पुत्र बजरंगा
37. गोपाल पुत्र लालू
38. मूलचंद पुत्र भूरा

सभी अहमदगंज, तहसील पीपलू, जिला टोंक के निवासी  
39. ग्राम पंचायत संदेड़ा, तहसील पीपलू, जिला टोंक

---परफोर्मा प्रत्यर्थीगण/गैर-आवेदक

---

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री गजेन्द्र सिंह राठौर
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री प्रदीप कुमार चौधरी

---

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

**आदेश**

आदेश सुरक्षित करने की तिथि : 13/02/2023  
आदेश उच्चारित करने की तिथि : 29/03/2023

**रिपोर्टबल**

1. वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत राजस्व बोर्ड (बीओआर) अजमेर द्वारा संशोधन/6763/2011 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2016 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर पुनरीक्षण-याचिका को अनुमति दी गई थी। मामला ग्राम पंचायत संदेड़ा, तहसील पीपलू, जिला टोंक द्वारा पारित म्यूटेशन प्रविष्टि क्रमांक 192 दिनांक 20.04.2002 से संबंधित है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि 29 बीघा 11 बिस्वा की विवादित भूमि याचिकाकर्ता और परफॉर्मा प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों की थी, लेकिन विभाग द्वारा संवत् 2028 में रिकॉर्ड में, उक्त भूमि गलत तरीके से किसी वीरूमल पुत्र

[2023/RJJP/002542]

रेलुमल सिंधी के नाम पर दर्ज की गई थी। इसके बाद, विधिक उत्तराधिकारियों की उचित जांच के बिना और वीरुमल पुत्र रेलुमल के विधिक उत्तराधिकारियों के रूप में प्रतिवादियों के पक्ष में उत्परिवर्तन संख्या 192 दिनांक 20.04.2002 को राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान और राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के भी विरुद्ध गलत तरीके से खोला गया था।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इसके विरुद्ध उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ), पीपलू, टोंक के समक्ष अपील की अनुमति दी गई थी और मामले को दिनांक 28.12.2005 के आदेश द्वारा वीरुमल पुत्र रेलुमल के विधिक उत्तराधिकारी के बारे में पूछताछ करने के बाद नए सिरे से तय करने के लिए मामले को वापस तहसीलदार, पीपलू को भेज दिया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थीगण ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त (एडीसी), अजमेर के समक्ष अपील दायर की और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, उक्त अपील को आदेश दिनांक 23.09.2011 द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध, प्रत्यर्थीगण ने राजस्व बोर्ड के समक्ष एक संशोधन दायर किया। पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 04.03.2013 और 23.11.2015 को दो आवेदन दायर किए गए थे। दिनांक 04.03.2013 के आवेदन में यह कहा गया था कि चूँकि दिनांक 28.12.2005 के आदेश को कभी भी सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी गई थी, उसके अनुसरण में, तहसीलदार ने जांच पूरी कर ली है और नए आदेश पारित कर दिए हैं और इसलिए संशोधन निष्फल हो गया है। दिनांक 23.11.2015 के आवेदन में, यह कहा गया था कि उसमें कुछ गैर-आवेदकों की मृत्यु हो गई है और इसलिए पुनरीक्षण रद्द कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी द्वारा एक आवेदन (दिनांक 31.05.2016) भी दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर घोषणा के लिए सूट संख्या 60/2003 का निर्णय याचिकाकर्ता के विरुद्ध आदेश के तहत किया गया था। दिनांक 17.05.2010 और उसी के विरुद्ध अपील भी दिनांक 04.05.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि केवल प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर आवेदन पर भरोसा करते हुए, और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदनों की योग्यता पर विचार किए बिना, बीओआर ने

[2023/RJJP/002542]

समवर्ती निष्कर्ष को उलट दिया, पुनरीक्षण-याचिका की अनुमति दी और मृत व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित किया।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के **गुरनाम सिंह बनाम गुरबचन कौर और 2017 और डीएनजे (एससी) 415** टी. ज्ञानवेल बनाम टी. एस. कनगराज और अन्य 2009 डीएनजे (एससी) 244 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। मृत व्यक्ति के विरुद्ध उस डिक्री को प्रस्तुत करना कानून की दृष्टि में अमान्य है।

6. *इसके विपरीत*, प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने मुकदमा संख्या 60/2003 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 17.05.2010 के आदेश पर भरोसा किया है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर घोषणा के मुकदमे का निर्णय याचिकाकर्ता के विरुद्ध किया गया था। प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एक बार सक्षम प्राधिकारी होने के नाते सिविल कोर्ट ने निर्णय सुनाया है कि प्रत्यर्था वैध विधिक उत्तराधिकारी हैं और एक बार उत्परिवर्तन संख्या 192-194-195 को सिविल न्यायालय द्वारा वैध माना जाता है, दिनांक 28.12.2005 और 23.09.2011 के आदेश (जिन्हें पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई थी) निरर्थक हो जाते हैं। इससे भी अधिक, जब दिनांक 17.05.2010 के आदेश के विरुद्ध अपील भी दिनांक 04.05.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि चूंकि मामला बीओआर के समक्ष विचाराधीन था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तहसीलदार ने कोई आदेश पारित किया है या नहीं और किसी भी मामले में, उत्परिवर्तन प्रविष्टि किसी के पक्ष में कोई अधिकार, शीर्षक या हित प्रदान नहीं करती है। राजस्व रिकॉर्ड में व्यक्ति और उत्परिवर्तन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए हैं। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने **बलवंत सिंह और अन्य बनाम दौलत सिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा (1997) 7 एससीसी 137:** में प्रकाशित; **भीमाबाई महादेव काम्बेकर बनाम आर्थर आयात और निर्यात कंपनी और अन्य 2019) 3 एससीसी 70** में प्रकाशित: और **अजीत कौर @ सुरजीत कौर बनाम दर्शन सिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से एवं अन्य (2019) 13 एससीसी 70** में प्रकाशित: मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि बीओआर को कुछ गैर-आवेदकों की मृत्यु के बारे में अच्छी तरह से पता था, लेकिन दिनांक 17.05.2010 के आदेश के मद्देनजर, बीओआर ने

संशोधन-याचिका को अनुमति दी थी क्योंकि प्रश्नाधीन मामला पुराना था और तब और भी अधिक जब चुनाव लड़ने वाले सभी दलों का पहले से ही प्रतिनिधित्व था।

7. संबंधित पक्षों द्वारा दी गई दलीलों को सुना, रिट याचिका के रिकॉर्ड का अवलोकन किया या और बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार किया।

8. यह घिसा-पिटा कानून है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय सकारण आदेश में हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश है। कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आड़ में, उच्च न्यायालय खुद को अपील न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकता है। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का विस्तार अधीनस्थ अदालतों/न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार की सीमा के भीतर रखने और यह देखने तक है कि वे कानून का पालन करें। यह माना गया है कि यद्यपि अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियां व्यापक हैं, उनका प्रयोग संयमित ढंग से और केवल अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार की सीमा के भीतर रखने के लिए किया जाना चाहिए, न कि केवल त्रुटियों को ठीक करने के लिए। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय **मोहम्मद इनाम बनाम संजय कुमार सिंघल और अन्य: (2020) 7 एससीसी 327** पर भरोसा किया जा सकता है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में, न्यायालय को विश्लेषण करना होगा कि क्या कुछ स्पष्ट/प्रकट त्रुटि है या रिकॉर्ड पर कुछ गलती स्पष्ट है। हालाँकि, यह माना जाना चाहिए कि रिकॉर्ड पर तथ्यों और सामग्री पर विचार करने के बाद न्यायालय या नीचे के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश उचित है।

9. मौजूदा मामले में, यह निर्विवाद है कि सिविल सूट संख्या 60/2003 की घोषणा ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांक 17.05.2010 के आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध की गई थी। उक्त आदेश में प्रकरण क्रमांक 7 मृतक वीरुमल के विधिक उत्तराधिकारी से संबंधित है और मुद्दा क्रमांक 8 उत्परिवर्तन संख्या 192-194-195 की वैधता से संबंधित है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दोनों मुद्दों पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध निर्णय सुनाया गया था। बीओआर ने उक्त तथ्य को ध्यान में रखा था और सही माना था कि एक बार जब ट्रेल कोर्ट ने मुद्दों का निर्णय कर दिया है, चाहे वह याचिकाकर्ता के पक्ष में हो या याचिकाकर्ता

के विरुद्ध, बीओआर के समक्ष लंबित मुद्दे का निर्णय सुनाया जाता है। चूंकि बीओआर के समक्ष कार्यवाही सारांश कार्यवाही है, एक बार जब ट्रायल कोर्ट द्वारा पार्टियों के अधिकारों को स्पष्ट कर दिया गया, तो पुनरीक्षण में कुछ भी नहीं बचता है और इस आधार पर पुनरीक्षण की उचित अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिए गए थे।

10. याचिकाकर्ता का यह तर्क भी मान्य नहीं है कि तहसीलदार ने डेनोवो जांच पूरी कर ली है और नया आदेश पारित कर दिया है। **बलवंत सिंह (सुप्रा.)**, **भीमाबाई महादेव काम्बेकर (सुप्रा.)** और **अजीत कौर (सुप्रा.)** के मामले सहित कई निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगातार यह माना गया है कि उत्परिवर्तन प्रविष्टियों का भूमि के स्वामित्व पर कोई अनुमानित मूल्य नहीं है; कि वे केवल उन्हीं व्यक्तियों को भू-राजस्व का भुगतान करने में सक्षम बनाते हैं जिनके पक्ष में प्रविष्टियाँ की गई हैं; कि उत्परिवर्तन प्रविष्टियाँ प्रकृति में राजकोषीय हैं, वे ऐसी भूमि पर स्वामित्व का सृजन या समापन नहीं करती हैं और भूमि/संपत्ति का स्वामित्व केवल सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। मौजूदा मामले में, बीओआर मुकदमा संख्या 60/2003 में सिविल कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करने में कानून में सही था, जिसमें मृतक वीरुमल का स्वामित्व और उत्तराधिकार प्रश्नाधीन था और उचित विश्लेषण के बाद याचिकाकर्ता के विरुद्ध सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा इसका निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, भले ही कोई नया आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया गया हो, लेकिन बीओआर द्वारा रिमांड आदेश को विज्ञापित करने वाले मूल/मूल आदेश को रद्द कर दिए जाने के बाद वह टिक नहीं पाता है। यहां तक कि याचिकाकर्ता का यह तर्क भी कि मृत व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में नहीं बनाया गया है, विशेष रूप से जब मृत्यु का तथ्य रिकॉर्ड पर था, तो प्रतिस्पर्धी पक्षों को विधिवत प्रतिबिंबित/प्रतिनिधित्व किया गया था और बीओआर केवल ट्रायल कोर्ट के दिनांक 17.05.2010 के आदेश के मद्देनजर प्रत्यर्थी के पक्ष में पुनरीक्षण का निपटारा किया।

11. इस न्यायालय की राय में, विद्वान बीओआर ने एक तर्कसंगत आदेश पारित किया है और भौतिक पहलुओं पर विचार करने के बाद एकमात्र तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यह न्यायालय बीओआर द्वारा अपनाए गए तर्क से पूरी तरह सहमत है। प्राकृतिक न्याय के

[2023/RJJP/002542]

सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं है और बीओआर के आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है।  
आक्षेपित आदेश से याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, भारत के संविधान  
के अनुच्छेद 227 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

12. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण खारिज  
की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

Pooja /71

**टिप्पणी:** इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।